

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम, द्वितीय तल नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ
पत्रांक: 486 / वा०नि०-5/ नि०प्रा०- 2012/43 दिनांक: 7/6/13

स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

मैसर्स एस०ए०एस०ग्लोबल प्रा०लि०

द्वारा निदेशक संगीता कालरा,

14-स्टेशन रोड, लखनऊ।

विषय:- व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 11/काम-105 वृन्दावन योजना लखनऊ के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

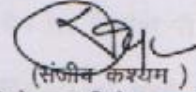
परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ के सेक्टर 11 में स्थित भूखण्ड सं० 11/काम-105 हेतु निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 7/6/13 से 6/6/18 तक।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. यदि उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है। तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयावृद्धि प्रमाण प्राप्त कर लिया जाये।
5. यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 9079.95 वर्गमी० (बेसमेंट+स्टिल्ट+10) तलों में से 2560.33 वर्गमी० (बेसमेंट+स्टिल्ट प्लोर) तलों हेतु निर्माण क्षेत्रफल के लिए 3027.50 वर्गमी० के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है। बेसमेंट प्लोर एवं स्टिल्ट प्लोर में पार्किंग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफ. ए.आर. में आंगणित नहीं किया गया है। अतः पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान में निर्माण की सुनिश्चितता हेतु निर्माण की स्वीकृति केवल बेसमेंट एवं उसके ऊपर एक तल हेतु प्रदान की जाती है।
6. बेसमेंट एवं उसके ऊपर एक तल का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त (सम्बन्धित खण्ड से पुष्टि के पश्चात) शेष निर्माण 6519.62 वर्गमी० की अनुवर्ती तलों पर स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की जा सकेगी। (स्वीकृत मानचित्र सलंगन है।)
7. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।
8. भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, से पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
9. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
10. आवंटी द्वारा सलंगन प्रारूप पर पूर्णतया प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलंगन करना होगा। समयावधि तत्पश्चात निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर ही पूर्णतया प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
11. मैसर्स एस०ए०एस० प्रा०लि०, द्वारा स्थल (सार्वजनिक)/मार्ग अथवा सरकारी भूमि का उपयोग भवन सामग्री अम्बार करने की दशा में वह मानचित्र अवमुक्त होने की तिथि से देय शुल्क तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज (अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि व्याज) मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद खाते में एकमुश्त जमा करेगा।
12. कम से कम 200 वर्गमी० क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।
14. भूकम्परोधी शासनादेश सं० 570-9-आ-12001 (भूकम्परोधी / 2001 / (आ०बा०) दिनांक 3.2.2001 एवं सं० 3751/9-आ-भूकम्परोधी / 2001 / (आ०बा०) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्तें, सेट के एक मानचित्र के पृष्ठ भागों पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुसरण करना होगा।

15. आवंटी द्वारा भारतीय विमान पत्तनम् का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है, जिसके सम्बंध में आवंटी को निर्देशित करते हुए मानचित्र इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किया जाता है, कि ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर प्रस्तावित निर्माण 15.00 मी० तक किया जा सकता है, अथवा छः महीने के अन्दर उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही 15.00 मी० से अधिक ऊँचाई का निर्माण किया जा सकेगा।
16. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होंगे।
17. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र [STRUCTURAL] प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।
18. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3 के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।
19. अग्निशमन अधिकारी लखनऊ के पत्रांक अ-25/डी०डी० (लखनऊ) 13 दिनांक 19-3-2013 की शर्तों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है।

सलंगनकः

1. आर्कीटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (1 नग शीट्स)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सेट (3 नग शीट्स)
3. स्ट्रक्चरल व कैलकुलेशन का एक सेट।
4. पूर्णतः प्रमाण पत्र का प्रारूप -व।


(संजीव करयम)

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी
दिनांक:

प्र० सं०:-

/उक्त/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी लखनऊ को सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियन्ता-वृन्दावन वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विचकास परिषद, लखनऊ को उक्त मानचित्र के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को मानचित्रों के एक सेट सहित इस आशय से प्रेषित कि पूर्णतः प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु प्रपत्र-व की एक प्रति सलंगन है तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि आवंटी को मलवा सामग्री की छूट दी गयी है, अतः यह सुनिश्चित कर लें कि आवंटी अपने ही भूखण्ड में निर्माण सामग्री एवं मलवा रखेगा।
4. सहायक आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबंध लखनऊ को शर्त सं०-04 व 15 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ को प्रपत्र -च सहित।

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी